न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00069)

1. भुला देवी पत्नी बनवारी लाल जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू (फौत)

1/1 श्योपाल 1/2 सुमेरसिह 1/3 धर्मपाल 1/4 लिछमा 1/5 सुख्मा 1/6 ओमी	पुत्रगण, पुत्रिया स्व. भुला देवी पत्नी बनवारी लाल जाति मेधवाल निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू।

2. रमेश कुमार पुत्र लीलाधर जाति मेधवाल निवासी चुबकिया ताल तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला चूरू।
2. जिला कलेक्टर चूरू।
3. पुलिस अधीक्षक, चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1.श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30.06.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 15.07.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.07.2019 से आवटन के प्रस्तावानुसार राजगढ ग्रामीण की आराजी ख. नं. 2266/167 कुल तादादी 3.06 हैक्टैयर किस्म सिवायचक में सें 3.04 बीधा (8000 वर्ग मीटर) भूमि भू–राजस्व अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर को शर्तो पर भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर केम्प चूरू में प्रस्तुत की गई।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई है।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि खसरा नं. 2266/167 तादादी 3.06 हैक्टेयर रोही राजगढ ग्रामीण में अपीलान्ट भूला देवी 1.5180 हैक्टेयर रकबे की खातेदार है तथा अपीलान्ट रमेश कुमार 1.5420 हैक्टेयर का खातेदार है, उक्त खसरा दोनो अपीलान्ट के संयुक्त खातेदारी का है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय मे वाद सं. 26/12 अनुवानी सरकार बनाम भुला देवी मे दिनांक 05.03.2018 को निर्णय पारित कर खसरा नं. 2266/167 के बाबत धारा 177 आर टी एक्ट के तहत भुला देवी की 1.5180 हैक्टेयर को सिवायचक धोषित कर दिया। अपीलान्ट रमेश के विरूद्व धारा 177 की कोई कार्यवाही संस्थित नही की गई, तथा भुला देवी के हिस्से की भूमि मे से 8000 वर्गमीटर भूमि तीसरी बटालियन आर ए सी बीकानेर को आवंटित की है, जबकि यह खसरा नं. 2266/167 दोनो अपीलान्ट के सहखातेदारी का अविभाजित है, जिसमें बिना किसी सीमाकंन व विभाजन के कौन से हिस्से को सिवायचक किया गया व कौनसा हिस्सा आर ए सी बीकानेर को आंवटित किया गया स्पष्ट नही है। तहसीलदार राजगढ द्वारा आवंटन के प्रस्ताव की अभिशषा के साथ जिला कलक्टर चूरू को भिजवाया गया है जिस पर जिला कलक्टर द्वारा रिपोर्ट मंगवाई रिपोर्ट में यह कही नही लिखा गया कि उक्त खसरा की भूमि पूर्व मे भुला देवी व रमेश कुमार के सहखातेदारी की रही है। प्रकरण में वादगत भूमि के सम्बन्ध में धारा 177 में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय से भी अपीलान्ट के हक मे निर्णय डिक्री प्रदान कर दिया गया है। जिसमें अपीलान्ट वादगत भूमि में खातेदार हो गये है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया गया आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट स्वीकार कर जिला कलक्टर चूरू द्वार पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.07.2019 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 474, का न्यायिक दृष्टांत तथा लिखित बहस प्रस्तुत की।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। जिला कलक्टर महोदय चूरू ने आदेश क्रमांक 770 दिनांक 15.07.2019 के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक चूरू की मांग पर राजगढ ग्रामीण के खसरा नं. 2266/167 की 3.06 हैक्टर भूमि सिवाय चक मे से 3.04 बीधा (8000 वर्गमीटर) भूमि तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर हेतु आंवटन किया। पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा 8 बीधा भूमि आंवटन की मांग की गई, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार राजगढ व पटवारी के द्वारा खसरा नं. 2266/167 में 1.00 हैक्टर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त भूमि धारा 177 के प्रकरण सं. 26/2012 सरकार बनाम भूला देवी के निर्णय दिनांक 05.03.2018 के द्वारा सिवाय चक घोषित हुई है। मौके पर प्लाटिग की हुई है। नकल गिरदावरी सं. 2073 के अनुसार खसरा नं. 2266/167 की 3.06 हैक्टर भूमि भूला देवी 1.5180 हैक्टर रमेश कुमार पुत्र लीलाघर के नाम 1.5420 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। गिरदावरी के सम्वत् 2076 में सिवाय चक 3.06 हैक्टर भूमि अंकित है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि राजगढ ग्रामीण के खसरा नं. 2266/167 की 3.06 हैक्टर संयुक्त खातेदारी भूमि थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2018 के द्वारा सिवाय चक घोषित हुई। उक्त धारा 177 के निर्णय के विरूद्व अपील सं. 41/2022 मृतक भूला देवी के वारिसान बनाम राजस्थान सरकार में न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के द्वारा निर्णय दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

25.05.2023 को उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 05.03.2018 को अपास्त कर दिया, इस प्रकार वर्तमान में अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि सिवाय चक भूमि नही है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि में से भूला देवी के हिस्से को अलग से विभाजित किये बिना आंवटन आदेश के साथ स्पष्ट नक्शे एवं आसे–पासे के अभाव में आवटित की गई भूमि की मौका स्थिति कायम किया जाना असंभव होने के कारण अपीलाधीन आदेश भी त्रुटिपूर्ण है। भू राजस्व नियम 1963 में अनाधिवासित भूमि के आवटन की शक्तिया दी गई जबकि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर प्लांटिग किये जाने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत सिवाय चक घोषित की गई। उक्त सिवाय चक घोषित भूमि को भी भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा दिनांक 25.05.2023 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को कायम रखा जाना न्यायोचित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर चूरू द्वार पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2019 को अपास्त किया जाता है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।